यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के माह स्थापना (04/2012) से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26-11-2020 से 03-12-2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु.लाख में)

	आवंटन	**व्यय**	**बचत**
2017-18	493.07	493.07	-
2018-19	467.58	467.58	-
2019-20	476.05	476.05	-
2020-21 (10/20)	273.27	273.27	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2017-18	**-**	-	-	-	-
2018-19	-	-	शून्य		-
2019-20	-	-	शून्य		-
2020-21 (10/20)	-	-	शून्य		-

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय उपजिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर श्रेणी (सी) की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

उप जिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वसिल वाकी नवीस
पेशकार उप जिलाधिकारी
रजिस्ट्रार कानूनगो

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2014, 02/2017, 06/2018 एवं 10/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

.....शून्य.....

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर 01- अनविज्ञ मदों की कुल धनराशि ₹6.08 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खाते में अवरुद्ध रखना।

शासन के के पत्रांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंको में जमा(Park) की जाती है यह प्रक्रिया भारत के संवधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम-9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड़-5 भाग-1 के प्रस्तर-21 व 22-बी के विपरीत है तथा यदि किसी विशिष्ट कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्जाय अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियों में जमा किया जाय।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल के बैंक खाते के स्टेटमेंट तथा संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नरेन्द्र नगर में खाता संख्या-10803644701 का संचालन किया जा रहा था जो खाता तहसीलदार के पदनाम से था। उक्त खातें में 01 दिसंबर, 2020 को रु 3929615/- की धनराशि जमा थी अर्थात उक्त तिथि को खाते का अंतिम अवशेष था, जिसमें से रु 16.57 लाख की धनराशि दैवीय आपदा मद तथा 16.55 लाख की धनराशि कोविड-19 से संबंधित थी जिसका वर्तमान में भुगतान किया जाना था तथा शेष धनराशि रु 6.08 लाख की धनराशि विगत वर्षो से अर्जित ब्याज तथा अनविज्ञ मदों की अवरुद्ध पड़ी थी। जिसका उक्त शासनादेश के अनुसार निस्तारण किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने विगत वर्षों से अवरुद्ध धनराशि के संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं बताया कि प्रश्नगत धनराशि के संबंध में कार्यालय द्वारा किया कार्यावाही की जायेगी जबकि उक्त अर्जित एवं अनविज्ञ मदों की धनराशि के संबंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार करके तदानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर 02- अग्नि आयुध (शस्त्र) के नवीनीकरण के दौरान रु 146520 की धनराशि को चालान के माध्यम से कम जमा करवाया जाना।

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अनुस्मारक पत्रांक नवम्बर 18, 2020 के अनुसार दिनांक 15.07.2016 से अग्नि आयुध-शस्त्रों के नवीनीकरण हेतु रु 500/- प्रति शस्त्र प्रति वर्ष की फीस निर्धारित की गयी। जबकि पूर्व दर रु 60 व रु 150 थी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल के अग्नि आयुध (शस्त्र) की लाईसेंस नवीनीकरण पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि दिसंबर, 2016 से मार्च, 2017 के मध्य कार्यालय द्वारा 111-अग्नि आयुध (शस्त्र) के लाईसेंसो का नवीनीकरण किया गया था। नवीनीकृत किये गये 111-आयुध लाईसेंसो का नवीवीकरण पूर्व दर रु 60/- प्रति शस्त्र प्रति वर्ष की दर से किया गया था जबकि जुलाई 2016 से प्रश्नगत लाईसेंसो के नवीनीकरण शुल्क रु 500/- प्रति शस्त्र, प्रति वर्ष की दर निर्धारित की गयी थी तदानुसार लाईसेंसो का नवीनीकरण किया जाना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप उक्त लाईसेंस धारकों के शस्त्र पूर्व दरों से नवीनीकृत किये जाने से रु 146520 (111*1320) की राजस्व क्षति अर्थात रु 146520 की धनराशि चालान के माध्यम से कम जमा करवायी गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि प्रश्नगत शस्त्र लाईसेंस धारकों से वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग -दो "अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग -दो "ब" प्रस्तर संख्या**	**पू0 न॰ ले॰ टिप्पणी प्रस्तर सं॰**
35/2016-17	शून्य	शून्य	01

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-35/2016-17	<u>STAN-प्रस्तर-01</u> धनराशि रु.1254763/- का मिलान न किया जाना।	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

1. सतत् अनियमितताएः शून्य
2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया है।

क्र.सं.	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	श्री माया दत्त जोशी	-	18.11.2020 से 28.05.2012 तक
2.	श्री एस॰एल. सेमवाल	-	29.05.2012 से 21.10.2013 तक
3.	श्री अभिषेक त्रिपाठी	-	22.10.2013 से 24.02.2014 तक
4.	श्री मनीष कुमार सिंह	-	25.02.2014 से 02.09.2015 तक
5.	श्री लक्ष्मी राज चौहान	-	08.09.2015 से 02.02.2016 तक
6.	श्री कृष्ण कुमार मिश्र	-	03.02.2016 से 20.07.2016 तक
7.	श्री लक्ष्मी राज चौहान	-	21.07.2016 से 11.12.2018 तक
8.	श्री चतर सिंह चौहान	-	12.12.2018 से 08.03.2019 तक
9.	सुश्री युक्ता मिश्र	-	09.03.2019 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" द्वितीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III